हिमाचल प्रदेश आवस एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–1 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2014 से 3/2015 तक

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावना**

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2, दिनांक 13.9.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल–1 जिला शिमला के लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2015 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री डी0आर0 गांधी, अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–1 के लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2015 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न दिया गया है।

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	स्टाफ अग्रिम समायोजन हेतु शेष	4	4.38
2	विविध अग्रिम समायोजन हेतु शेष	4.1	89.50
3	श्री जे0के0 कपूर ए0ई0(रिटा) से विगत कई वर्षों से अग्रिम को राशि समायोजन हेतु शेष	4.2	1.10
4	दिनांक 31.3.2015 तक जल प्रभार की वसूली शेष	4.3	4.92
5	दिनांक 31.3.2015 तक रख–रखाव प्रभार की वसूली शेष	4.4	32.08
6	आवासीय बस्तियों के रख–रखाव पर प्राप्ति से अधिक व्यय करने के कारण हानि	5	24.12
7	भण्डार मदों का विगत कई वर्षों से उपयोग नहीं करना	6	10.47
8	प्रशासनिक प्रभार की अपेक्षा वेतन व भत्तों पर अधिक भुगतान करना	7	224.38

9	धरोहर/प्रतिभूति जमा खातों को डैबिट रूप में पाया जाना	8	8.62
10	नियमों की अवहेलना करके मैं0 हिम इंजीनियर एण्ड कम्सल्टैंट को अधिक Secured Advance प्रदान करके अनुचित लाभ देने बारे	15(क)	1.55
11	संविदाकार को अनियमित अग्रिम भुगतान करना	20	30.00
12	अतिरिक्त व प्रतिस्थापित कार्य मदों का कार्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निष्पादित किया जाना	21	12.54
13	निष्पादित निर्माण कार्यों की विभिन्न मदों की मात्रा में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से विचलन (Deviation)	22	191.99
14	Security की कालातीत हो चुकी राशि को जब्त न किया जाने के कारण निर्माण मण्डल को हानि	25	19.08

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट–"क"** में दर्शाई गई है। वर्ष 4/1995 से 3/2014 तक मण्डल से सम्बन्धित 271 पैरे शेष हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
1	4/1995 से 3/1996 तक	3
2	4/1996 से 3/1997 तक	1
3	4/1998 से 3/1999 तक	3
4	4/2000 से 3/2001 तक	4
5	4/2001 से 3/2002 तक	5
6	4/2002 से 3/2003 तक	1
7	4/2003 से 3/2004 तक	5
8	4/2004 से 3/2005 तक	5
9	4/2005 से 3/2006 तक	5
10	4/2006 से 3/2007 तक	1
11	4/2007 से 3/2008 तक	3
12	4/2008 से 3/2009 तक	11
13	4/2009 से 3/2010 तक	13

14	4/2010 से 3/2011 तक	5
15	4/2011 से 3/2012 तक	11
16	4/2012 से 3/2013 तक	8
17	4/2013 से 3/2014 तक	22
		106

पूर्व नगर विकास प्राधिकरण के मण्डल–1 को वांछित कार्यवाही हेतु स्थानान्तरित पैरों की संख्या

1	4/1990 से 3/1991 तक	3
2	4/1991 से 3/1992 तक	12
3	4/1992 से 3/1993 तक	7
4	4/1993 से 3/1994 तक	24
5	421994 से 3/1995 तक	10
6	4/1995 से 3/1996 तक	14
7	4/1996 से 3/1997 तक	28
8	4/1997 से 3/1998 तक	36
9	4/1998 से 3/1999 तक	16
10	4/1999 से 15.1.2001 तक	15
	कुल योग	**165**

अतः अधिशासी अभियन्ता, उपरोक्त शेष अंकेक्षण पैरों में अपेक्षित कार्रवाई करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–1 के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 तक का वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री अनिल शर्मा, और रविन्द्र कंवर अनुभाग अधिकारों द्वारा श्री पदम सिंह कंवर, उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 के पर्यावेक्षण दिनांक 1.12.2015 से 27.1.2015 तक शिमला स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत जाँच के लिए माह 3/2015 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया। आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गए अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाया गया।

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–1 जिला शिमला हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रेषित सूचनाओं व उपलब्ध अभिलेख के आधार पर किया गया है, किसी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 का कोई उतरदायित्व नहीं होगा। क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मास तक ही सीमित रखा गया है।

3 अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल–1 के लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2015 का अंकेक्षण करने के शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला–2 को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 स्टाफ अग्रिम की राशि ₹4.39 लाख समायोजन हेतु शेष

स्टाफ अग्रिम लेखा की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 तक ₹4,38,859 समायोजन हेतु शेष थे। जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"ख"** में संलग्न किया गया है। स्टाफ अग्रिम विवरण की जाँच में पाया गया कि अधिकतर अग्रिम सहायक अभियन्ताओं, एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं से सम्बन्धित थे। अतः इस सम्बन्ध मे अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

4.1 विविध अग्रिम की राशि ₹89.50 लाख दिनांक 31.3.2015 तक समायोजन हेतु शेष

विविध अग्रिम से सम्बन्धित विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 तक विभिन्न विभागों/फर्मों/संविदाकारों से ₹89,50,766 की राशि समायोजन हेतु शेष थीं इस राशि का पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट–"ग"** में दिया गया है। जाँच करने पर पाया गया कि विविध अग्रिम की अधिकतर राशियां अनेक वर्षों से निपटारे हेतु लम्बित पड़ी थी। अतः इस सम्बन्ध में अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

4.2 विविध अग्रिम की राशि ₹1.10 लाख विगत कई वर्षों से समायोजन के लिए लम्बित

विविध अग्रिम विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि ₹1,10,344 की राशि श्री जे0के0 कपूर ए0ई9 (रिटा) जो कि एच0पी0पी0डब्लयू0डी0 से हिमुडा निर्माण मण्डल–1 में प्रतिनियुक्ति पर थे से पिछले कई वर्षों से समायोजन के लिए लम्बित हैं। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 19/2015 दिनांक 13.1.2016 के प्रति उत्तर में अधिशाषी अभियन्ता निर्माण मण्डल ने पत्र

संख्या HIMUDA/AB/LAD/2015-16-3278, दिनांक 15.1.2016 द्वारा सूचित किया कि इस राशि के समायोजन हेतु कार्रवाई की जा रही है जोकि तर्क संगत नही है क्योंकि सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014 तक के अंकेक्षण पैरा संख्या 4(ख)(2) में भी आपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन आज तक इस राशि के समायोजन के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए, साथ ही इस अग्रिम के सम्बन्ध में समायोजन के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाए, अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

4.3 दिनांक 31.3.2015 तक ₹4.92 लाख की राशि जल प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से वसूली हेतु शेष

हिमुडा निर्माण मण्डल–1 के अन्तर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से दिनांक 31.3.2015 तक ₹4,91,629.15 की राशि जल प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है। इस राशि की वसूली हेतु उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जाएं।

क्रम संख्या	आवासीय बस्ती का नाम	जल प्रभार की दिनांक 31.3.2015 तक शेष राशि
1	आवास बस्ती संजौली फेस–1 व 2	21,557.15
2	आवास बस्ती संजौली फेस–3	4,70,072.00
	कुल योग	**4,91,629.15**

4.4 दिनांक 31.3.2015 तक रख–रखाव प्रभार की राशि ₹32.08 लाख वसूली हेतु शेष

हिमुडा निर्माण मण्डल–1 के अन्तर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से दिनांक 31.3.2015 तक राशि ₹32,08,868 रख–रखाव प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है। इस राशि की वसूली हेतु उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जाएं।

क्रम संख्या	आवासीय बस्ती का नाम	रख–रखाव प्रभार की दिनांक 31.3.2015 तक शेष राशि
1	आवास बस्ती संजौली फेस–1 व 2	30,058.00
2	आवास बस्ती संजौली फेस–3	4,73,336.00
3	आवास बस्ती रोहड़ू	27,05,474.00
	कुल योग	**32,08,868.00**

5 आवासीय बस्तियों के रख–रखाव पर प्राप्ति से अधिक व्यय करने के कारण ₹24.12 लाख की हानि

निर्माण मण्डल की विभिन्न आवासीय बस्तियों के रख–रखाव शुल्क व किए गए व्यय से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अवधि 2012–13 से 2014–15 के दौरान इन आवासीय बस्तियों के रख–रखाव पर आबंटियों से प्राप्त रख–रखाव शुल्क से अधिक व्यय किया गया। अधिक व्यय का विवरण निम्न दिया गया है। नियमानुसार यह आय और व्यय का अनुपात बराबर होना चाहिए था। अतः आवासीय बस्तियों पर प्राप्त शुल्क से अधिक व्यय करने के कारण अवधि 4/2012 से 3/2015 के दौरान मण्डल को ₹24,11,586 के बोर्ड निधि की हानि हुई। अतः आवासीय बस्तियों से प्राप्त रख–रखाव शुल्क से अधिक व्यय करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए रख–रखाव व्यय की राशि को नियंत्रित करना सुनिश्चित किया जाए।

Year	Name of Residential Colony	Annual Maintence Charges in R/o Residential Colony	Annual Maintence Charges Received in R/o Residential Colony	Excess Expenditure
2012-13	Sanjauli (Phase 1, 2 & 3)	8,40,201	3,38,282	5,01,919
	Rohroo	8,65,612	3,08,931	5,56,681
2013-14	Sanjauli (Phase 1, 2 & 3)	13,26,554	3,36,382	9,90,172
	Rohroo	6,67,975	4,50,701	2,17,274
2014-15	Sanjauli (Phase 1, 2 &3)	3,34,528	3,33,840	688
	Rohroo	2,64,485	1,19,633	1,44,852
			Total	**24,11,586**

6 ₹10.47 लाख की भण्डार मदों का विगत कई वर्षों से उपयोग नहीं करना

स्टॉक लेखा व खाता बही में दिनांक 31.3.2015 को पाये गए अन्तशेष की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को ₹53,44,248.84 का स्टॉक शेष था। हिमुडा निर्माण मण्डल–1 द्वारा उपलब्ध करवाए गए निर्माण सामग्री विवरण अनुसार ₹10,47,220.84 की सामग्री जिसका विवरण **परिशिष्ट–''घ''** पर दिया गया है विगत कई वर्षों से शेष दर्शाई गई थी अनेक वर्षों से निर्माण सामग्री का उपयोग न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इन भण्डार मदों का प्रत्यक्ष सत्यापनोपरान्त आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

7 निर्माण मण्डल द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान प्रशासनिक प्रभार की प्राप्ति की अपेक्षा वेतन व भतों पर राशि ₹224.38 लाख अधिक व्यय करना

निर्माण मण्डल के लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान निष्पादित निर्माण कार्यों से प्राप्त प्रशासनिक प्रभार की तुलना में वेतन व भत्तों पर राशि ₹224.38 लाख का निम्न विवरणानुसार अधिक व्यय किया गया। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु हिमुडा शीर्ष अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

विवरण	वर्ष 2014–15 के दौरान राशि (₹)
निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय	12,12,71,617
स्थापना पर किया गया व्यय	3,70,47,723
प्रशासनिक प्रभार (प्राप्ति)	1,46,09,645
प्रशासनिक प्रभार की अपेक्षा वेतन पर किया गया अधिक व्यय	2,24,38,078

8 ₹8.62 लाख की राशि का संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति (Security) जमा खातों में डेबिट रूप में पाया जाना

संविदाकारों की प्रतिभूति वही खातों का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को विभिन्न संविदाकारों के व्यक्तिगत खातों में ₹8,62,348 की धरोहर/प्रतिभूति जमा राशि का अन्तशेष डेबिट रूप में पाया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट–''ड़''** पर दिया गया है। संविदाकारों की प्रतिभूति खाता में अन्तशेष का डैबिट होना यह दर्शाता है कि संविदाकारों को प्राप्त राशि से अधिक राशि का भुगतान किया गया। संविदाकार को जमा प्रतिभूति से अधिक भुगतान एक अत्यंत गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सम्बन्ध में उचित छानबीन की जाए और ₹8,62,348 राशि के डेबिट बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा डेबिट राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाएं अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

9 ₹0.30 लाख की राशि का संविदाकारों के डिपॉजिट खातों (Deposit account) में डैबिट रूप में पाया जाना

संविदाकारों के डिपॉजिट खातों का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को इन खातों में ₹30,000 की राशि डैबिट रूप में थी, इन संविदाकारों का विवरण निम्न दिया गया है, संविदाकारों के डिपॉजिट खातों का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट–''च''** पर दिया गया है। डिपॉजिट खातों में अन्तशेष का डैबिट होना यह दर्शाता है कि जितनी राशि डिपॉजिट खातों में जमा थी उससे अधिक राशि का भुगतान संविदाकार को कर दिया गया। संविदाकार के डिपॉजिट खातों में जमा राशि से अधिक राशि को भुगतान करना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सम्बन्ध में उचित छानबीन की जाए और ₹30,000 की राशि के डैबिट बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की

जाए अन्यथा डैबिट राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Sr.No.	Name of Contractor	Closing Balance as on 31-3-2015
1	M/s Kapil Construction Co.	25,000
2	Sh. Akesh Kumar Vij	5,000
	Total	**30,000**

10 विश्राम गृह शिमला (बीसीएस) की आय की अपेक्षा अत्यधिक व्यय करना

हिमुडा निर्माण मण्डल के अधीन विश्राम गृह शिमला (बीसीएस) के आय व व्यय से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि विश्राम गृह पर प्राप्त आय की तुलना से अधिक व्यय किया गया था। वर्ष 2014–15 के दौरान विश्राम गृह से प्राप्त आय विश्राम गृह पर किए गए व्यय का केवल 9.75% थी। जैसा कि निम्न सारणी से ज्ञात होता है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त आय	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	विश्राम गृह पर किए गए व्यय की तुलना में आय का प्रतिशत
2014–15	58,640	6,01,128	9.75%

11 परिवार नियोजन भत्ते की राशि ₹0.12 लाख का अनियमित भुगतान

वित्त विभाग (विनियम) के कार्यालय ज्ञापन संख्याः फिन(सी)ए(3)–6/80, दिनांक 8.12.1981 व फिन(सी)ए(3)–8/88, दिनांक 24.7.2013 के अनुसार परिवार नियोजन भत्ते की दर कर्मचारी के पद के वेतनमान के प्रथम/न्यूनतम वेतन वृद्धि के बराबर जोकि दिनांक 1.1.1996 से लागू वेतनमान पर आधारित होगी। परन्तु उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों में दिए गए प्रावधानों के विपरीत हिमुड़ा द्वारा निम्न कर्मचारियों के पक्ष में परिवार नियोजन भत्ते का भुगतान देय दर से अधिक दर पर किया गया। जोकि उपरोक्त ज्ञापनों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित था। अतः वित्त विभाग (विनियम) के कार्यालय ज्ञापनों के प्रतिकूल परिवार नियोजन भत्ते के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई ₹11,993 की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	1.1.1996 से लागू वेतनमान	अनियमित भुगतान की अवधि	भुगतान राशि	प्रमिमाह परिवार नियोजन की देय दर	अधिक/अनियमित भुगतान
1	श्री वेद प्रकाश, चौकीदार	2720–100–3220–110–3660–120–4260	1.1.2006 से 31.12.2015	150	100	6000 (120x50)

2	श्री विश्वमित्र, बेलदार	2520—100—3220—110—3660—120—4140	2.2.2011 से 28.2.2011 (27 दिन)	193		193
			1.3.2011 से 31.12.2015 (58 माह)	200	100	5800 (58x100)
					योग	**11,993**

12 अधिशासी अभियन्ता के वेतन बिल से Attached Vehicle की ₹0.14 लाख की वसूली न करना

वित्त विभाग (व्यय) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या फिन—1(सी)—14—1/खण्ड—II, दिनांक 8.9.2010 में दी गई सारणी के क्रम संख्या 2 के अनुसार शिमला में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ Attached Vehicle होने पर उनसे प्रति माह न्यूनतम ₹750 की वसूली की जानी अपेक्षित थी। निर्माण मण्डल के वाहन एच0पी0—51—1245 जिप्सी की लॉग बुक की पड़ताल करने पर पाया गया कि यह वाहन निर्माण मण्डल के अधिशासी अभियन्ता के साथ Attached था। अधिशासी अभियन्ता (वर्तमान में सेवा निवृत) के वेतन बिल की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2014—15 के दौरान (1.4.2014 से 31.10.2014) उनके वेतन से Attached Vehicle के सम्बन्ध में ₹14,250 की वसूली नहीं की गई थी। इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। अतः अधिशासी अभियन्ता के वेतन बिल से Attached Vehicle के सम्बन्ध मे कुल ₹14,250 की राशि की वसूली न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अति शीघ्र सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि	मासिक वसूली दर	कुल राशि
1.4.2013 से 31.10.2014 (कुल 19 माह)	₹750	₹14,250

13 बैंक समाधान विवरण

निर्माण मण्डल—1 के दिनांक 31.3.2015 तक के बैंक समाधान विवरण का अवलोकन करने पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

13.1 UCO Bank निगम विहार, शिमला—2

13.1.1 ₹6882.84 की राशि का दिनांक 31.3.2015 तक क्रैडिट न दिया जाना

चैक संख्या 595036, दिनांक 30.7.1986	3842.55
चैक संख्याः 406004, दिनांक 22.2.1989	3040.29
	6882.84

उपरोक्त दोनों चैक यूको बैंक निगम विहार में विर्ष 1986 और 1989 में जमा करवाए गए थे परन्तु आज तक बैंक द्वारा उक्त दोनों चैकों की राशि को निर्माण मण्डल के बैंक खाते में जाना नहीं किया गया है। इतनी अधिक पुरानी अवधि के चैकों को बैंक द्वारा किन कारणों से मण्डल के खातों में जमा नहीं करवाया गया इस तथ्य की कोई जानकारी मण्डल स्तर पर उपलब्ध नहीं थी। इन दोनों चैकों की राशि जमा न होने के बारे में आज तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होना और न ही मण्डल स्तर पर इस बारे में कोई न छानबीन करना अपने आप में एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। नियमानुसार एक चैक जारी करने की तिथि से 3 माह के लिए भुगतान हेतु मान्य होता है। इन चैकों के कालातीत होने के पश्चात सम्बन्धित व्यक्तियों/फर्म से ₹6882.84 की राशि को प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास न करना एक गम्भीर मामला है। अतः यह मामला मण्डल अधिकारियों के समक्ष आवश्यक एवं उचित अपेक्षित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

13.1.2 बैंक द्वारा ₹136 की राशि 1.4.2014 से 31.12.2014 के दौरान निर्माण मण्डल के खाते से "Service Tax, ISL Tax Charges, RTGS Charges" लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत कम की गई थी। इस राशि को रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2015 तक लेखांकित नहीं किया गया था और न ही इस बारे में बैंक से कोई छानबीन की गई कि यह चार्जिज किस सुविधा के लिए बैंक द्वारा चार्ज किए गए थे? उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि ₹136 की राशि को वाऊचर संख्याः 117, दिनांक 31.7.2015 के अन्तर्गत रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था। अतः बैंक द्वारा debit किए गए विभिन्न प्रकार के Charges को रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2015 तक लेखांकन न करने को न्यायोचित ठहराया जाएं साथ ही भविष्य में बैंक द्वारा चार्ज की गई राशि को रोकड़ बही में वर्षान्त से पूर्व लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13.1.3 दिनांक 4.5.2012 को राशि ₹30 के चैक को भुगतान न किए जाने के कारण रद्द न करना

बैंक समाधान विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि चैक संख्या 020231 दिनांक 4.5.2012 ₹30 की राशि से "Cheque issued but not encashed till 31.3.2015" शीर्षक के अन्तर्गत रोकड़ बही अन्तशेष जमा किए गए थे। उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि यह चैक दिनांक 4.5.2012 को जारी किया गया था और साथ ही यह चैक दिनांक 31.3.2015 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। नियमानुसार चैक जारी करने की तिथि से तीन माह तक भुगतान हेतु वैध होता है। इस चैक को जारी करने की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत न किए जाने पर निर्माण मण्डल द्वारा रद्द किया जाना अपेक्षित था और पुनः अपनी आय में जमा किया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा न करके प्रति वर्ष इस चैक को

"Cheque issued but not encashed" शीर्षक के अन्तर्गत बैंक समाधान में दर्शाया गया था। अतः 3 वर्षों के उपरान्त भी जारी चैक को भुगतान हेतु प्रस्तुत न किए जाने पर रद्द न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए, साथ ही इस चैक बारे में नियमानुसार आवश्यक छानबीन की जाए और भुगतान को रद्द करके निर्माण मण्डल की आय मे जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13.2 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शिमला–3

13.2.1 बैंक द्वारा निर्माण मण्डल के खाते से ₹355 की राशि की "Bank Charges ACC Keeping Fee & Cheque Book Charges Debited by Bank" शीर्षक के अन्तर्गत कम किया गया था और इस राशि को रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2015 तक दर्ज नहीं किया गया था। उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि ₹335 की राशि को वाऊचर संख्याः 116, दिनांक 31.7.2015 को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था। अतः बैंक द्वारा डैबिट किए गए विभिन्न प्रकार के चार्जिज को रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2015 तक लेखांकन न करने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही भविष्य में बैंक द्वारा डैबिट किए गए विभिन्न बैंक चार्जिज को रोकड़ बही में वर्षान्त तक लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13.3 यू0टी0आई बैंक शिमला–9

13.3.1 दिनांक 8.12.2014 को जारी ₹2000 के चैक को भुगतान हेतु प्रस्तुत न करने के कारण रद्द न किया जाना

बैंक समाधान विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि चैक संख्याः 287065, दिनांक 8.12.2014 ₹2000 की राशि से "Cheque issued but not encashed till 31-3-2015" शीर्षक के अन्तर्गत जमा किया गया था। उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि यह चैक ₹2000 हेतु दिनांक 8.12.2014 को जारी किया गया था। और साथ ही यह चैक दिनांक 31.3.2015 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। नियमानुसार चैक जारी करने की दिनांक से तीन माह तक भुगतान हेतु वैध होता है। अतः चैक को जारी करने की तिथि से तीन माह के अन्दर भुगतान के लिए प्रस्तुत न किए जाने पर निर्माण मण्डल द्वारा रद्द किया जाना अपेक्षित था और पुनः अपनी आय में जमा किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न करके इस चैक को "Cheque issued but not encashed till 31-3-2015" शीर्षक के अन्तर्गत बैंक समाधान में दर्शाया गया था। दिनांक 31.3.2015 तक जारी चैक को भुगतान हेतु प्रस्तुत न किए जाने पर रद्द न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए, साथ ही इस चैक बारे में नियमानुसार आवश्यक छानबीन की जाए और भुगतान को रद्द करके निर्माण मण्डल की आय में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13.3.2 बैंक द्वारा चैक राशि से अधिक राशि के भुगतान के कारण ₹747 का अधिक व अनियमित भुगतान करना

बैंक समाधान विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न चैक के विरूद्ध बैंक द्वारा चैक की राशि से अधिक राशि से भुगतान चैक धारक को किया गया था। इस प्रकार कुल ₹747 की राशि का अधिक भुगतान बैंक द्वारा निर्माण मण्डल के बैंक खाते से किया गया था। निर्माण मण्डल अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में बैंक से कोई पत्राचार नहीं किया गया और बैंक समाधान विवरण में ₹747 की राशि को रोकड़ बही के अन्तशेष में से कम करके दर्शाया गया था। नियमानुसार इस सम्बन्ध में बैंक से आवश्यक छानबीन के उपरान्त ही आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए थी परन्तु ऐसा न करके बैंक समाधान विवरण में ₹747 की राशि को कम करके दर्शाया गया था। अतः अनावश्यक रूप से बैंक समाधान विवरण में रोकड़ बही के अन्तिम शेष को ₹747 की राशि से कम दर्शाये जाने को न्यायोचित ठहराया जाए।

विवरण	राशि (₹)
Cheque No. 040696, dated 7.10.2013 issued for 2325 but debited by bank by 2525	200
Cheque No. 020761, dated 30.3.2013 issued for 1203 but debited by bank 1248	45
Cheque No. 020752, dated 29.3.2013 for 27305 but debited by bank 27807	502
Total	**747**

13.4 पंजाब नैशनल बैंक, दी माल शिमला–1

13.4.1 बैंक में जमा राशि पर अर्जित ब्याज ₹3663 को रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2015 तक न लिया जाना

पंजाब नैशनल बैंक, दी माल शिमला–1 की बैंक समाधान विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 9.9.2014 को ₹1828 और दिनांक 2.3.2015 को ₹1835 की राशि बैंक द्वारा निर्माण मण्डल के बैंक खाते में अर्जित ब्याज हेतु जमा की गई थी परन्तु निर्माण मण्डल की रोकड़ बही में इस सम्बन्ध मे लेखांकन वाऊचर संख्याः 118, दिनांक 31.7.2015 को किया गया था। अतः अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2015 तक लेखांकन न करने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही भविष्य में बैंक द्वारा प्रदान किए गए अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में वर्षान्त तक लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 वाऊचर संख्याः 111, दिनांक 31.3.2015, राशि ₹1,16,660

निर्माण कार्य का नाम	Special Repair to Head Office Building Nigam Vihar, Shimla
संविदाकार का नाम	Sh. Mahesh Kumar
अनुबन्ध संख्या	14 of 2014-15
चलित बिल	1st Running Bill
Abstract of Cost MB	Page No. 78 to 86 of 1637/09
Record MB	Page No. 70 to 78 of 1637/09

(क) गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹1176 का अधिक भुगतान

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल की कार्य मद संख्याः 1 "Providing wood work in frame of Doors windows" माप पुस्तिका संख्याः 1637/09, पृष्ठ संख्याः 71 की जाँच करने पर पाया गया कि गलत गणना के कारण संविदाकार को 0.012 घन मीटर दर ₹98,000 प्रति घन मीटर से कुल ₹1176 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था। अधिक भुगतान की गई मात्रा का विवरण निम्न दिया गया है। अतः अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम/संविदाकार से सुनिश्चित की जाए।

माप पुस्तिका संख्या/ पृष्ठ सं0 1637/09 पृ0 सं0 71	गणना जिसका भुगतान किया गया (घन मीटर में)	सही गणना जो की जानी चाहिए थी (घन मीटर में)	अधिक भुगतान की गई मात्रा	दर प्रति घन मीटर	कुल अधिक भुगतान
Vertical Member	1x0.075x0.0625x2.53 =0.012m^3	1x0.075x0.0625x2.53 =0.012 m^3			
	7x0.075x0.0625x2.82 =0.092 m^3	7x0.075x0.0625x2.82 = 0.092 m^3			
	1x0.075x0.0625x1.80 = 0.008 m^3	1x0.075x0.0625x1.80 =0.008 m^3			
Hort. Top Member	2x0.075x0.0625x0.13 =0.0012 m^3	2x0.075x0.0625x0.13 =0.001 m^3			

	3x1.83x0.0625x0.075 =0.026 m^3	3x1.83x0.0625x0.075 =0.026m^3			
Hort. Member	3x3x0.58x0.0625x0.075 = 0.024 m^3	3x3x0.58x0.0625x0.075 =0.024 m^3			
	1x3x0.78x0.0625x0.075 = 0.011 m^3	1x3x0.78x0.0625x0.075 = 0.024 m^3			
	2x0.28x0.0625x0.075 =0.002m^3	2x0.28x0.0625x0.075 = 0.002m^3			
	2x0.075x0.0625x2.05 = 0.02m^3	2x0.075x0.0625x2.05 = 0.019m^3			
Total	**कुल योग 0.196M^3 परन्तु भुगतान 0.207m^3 मात्रा हेतु किया गया।**	**= 0.195m^3**	**0.012m^3 (0.207m^3 -0.195m^3)**	**98000**	**1176**

15 वाऊचर संख्या 105, दिनांक 28.8.2014, राशि ₹1,16,660

निर्माण कार्य का नाम	C/o 12 Nos. Cat-II Flats at PSFS Sanjauli
संविदाकार का नाम	M/s HIM Engineer and Consultant
अनुबन्ध संख्या	19 of 2012-13
Abstract of Cost MB	Page No. 60 of 1769

(क) मैं0 हिम इंजीनियर एण्ड कंसल्टैंट को सुरक्षित अग्रिम ₹1.55 लाख का अधिक भुगतान करना

Swamy's compilation of CPWD Works Manual Vol-II के पैरा 32.5.2 के अनुसार "The Divisional Officers can sanction the Secured Advance up to an amount not exceeding 75% of the value of the materials as assessed by the Engineer-in-Charge or an amount not exceeding 75% of the material element cost in the tendered rate of the finished item of work whichever is lower". उपरोक्त के अनुसार संविदाकार/ठेकेदार को 75% ऑफ कोस्ट मैटीरियल का या संविदाकार/ठेकेदार द्वारा फिनिश्ड आइटम के भरे गए रेट में से मैटीरियल एलिमैंट का 75% (फिनिश्ड आइटम के भरे गए रेट में 75% मैटीरियल एलिमैंट और 25% लेबर एलिमैंट होता है) में से जो भी सबसे कम हो उसे secured Advance के रूप में प्रदान किया जा सकता है। संविदाकार/ठेकेदार को वर्ष 2014–15 के दौरान प्रदान किए गए secured Advance की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल द्वारा उपरोक्त नियम की अनदेखी करके ₹1,55,277.50 (₹6,21,110 – ₹4,65,832.50) की राशि का अधिक Secured

Advance प्रदान किया गया। इस राशि का पूर्ण ब्यौरा निम्न दिया गया है। अतः नियमों के विपरीत संविदाकार/ठेकेदार को Secured Advance प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

Detail of Secured Avance Granted:

Recording MB No. 1768 P.No. 78

2nd Class Common Brunt Clay Bricks 1x3.5x3.5x3.05=37.36m^3 x 5 = 186.80m^3
186.80 m^3 x 475 Bricks प्रति घन मी0 88730 Bricks

Abstract of Cost MB 1769 P.No. 59

88730 Bricks x 7.00 = 6,21,110 जबकि नियमानुसार Secured Advance की राशि 75% of ₹6,21,110 = ₹4,65,832.50 होनी चाहिए थी जबकि संविदाकार को ₹6,21,110 की राशि का Secured Advance प्रदान किया गया। अतः नियमों के विपरीत संविदाकार/ठेकेदार को अधिक Secured Advance प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

16 बिल से Rebate न काटने के कारण ₹0.09 लाख का अधिक भुगतान

वाऊचर संख्याः 120, दिनांक 31.3.2015, राशि ₹11,18,035

निर्माण कार्य का नाम	Residential Complex below BCS Ph-II, Sector-IV New Shimla
संविदाकार का नाम	Sh. Arun Kumar
अनुबन्ध संख्या	27 of 2013-14
चलित बिल	4th Running Bill
Abstract of Cost MB	Page No. 52 of 1791

संविदाकार के साथ किए गए अनुबन्ध के अनुसार Annexure-B की सभी items पर 9.05% की दर से Rebate की कटौती की जानी थी परन्तु उपलब्ध अभिलेखों की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य के 4th Running Bill तक Annexure-B में वर्णित सभी मदों में से केवल ₹95,000 की मद का निष्पादन व भुगतान किया गया परन्तु अनुबन्ध की शर्त अनुसार 9.05% की दर से Rebate की कटौती नही की गई थी। इस प्रकार 4th Running Bill तक ₹95,000 पर 9.05% की दर से Rebate की कटौती न करके संविदाकार को ₹9025 का अधिक भुगतान किया गया। अतः 4th Running Bill तक अनुबन्ध की शर्त अनुसार 9.05% की दर से Rebate की कटौती नहीं करने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही भविष्य में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ही निर्माण बिलों का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

17 वाऊचर संख्याः 108, दिनांक 31.3.2015, राशि ₹2,38,898

निर्माण कार्य का नाम	Special Repair of Staff Quarter at Strawberry Hills Shimla
संविदाकार का नाम	Sh. Rakshit Sood
अनुबन्ध संख्या	6 of 2014-15
चलित बिल	1st & Final Bill
Abstract of Cost MB	Page No. 83 to 88 of 1464

संविदकार को निर्माण कार्य हेतु जारी सीमेन्ट की वसूली कम किए जाने के कारण निर्माण मण्डल को ₹808 की राशि के हानि बारे।

निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 3 "P/L Duro Stone Vtrified tiles 300x 300 x 10mm" की $56.60m^3$ मात्रा निष्पादित की गई थी और इस मद के निष्पादन हेतु 11 बैग सीमेन्ट इंडैंट संख्या 4589, दिनांक 24.11.2014 द्वारा जारी किए गए थे। परन्तु संविदाकार के भुगतान बिल से केवल 9 सीमेन्ट बैग की खपत एवं कटौती दर्शाई गई थी। इस प्रकार शेष 2 सीमेन्ट बैंग जो संविदाकार को उपरोक्त इंडैंट द्वारा जारी किए गए थे, की न तो संविदाकार से वापिस प्राप्त किए गए और न ही इन सीमेन्ट बैग हेतु संविदाकार से अनुबन्ध की शर्त 42(ii) के अनुसार भुगतान बिल से "Twice the issue Rate" से कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार कटौती न किए जाने कारण निर्माण मण्डल को ₹808 की राशि की हानि हुई। इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को जारी किए गए सीमेन्ट को वापिस प्राप्त न किए जाने के कारण निर्माण मण्डल को ₹808 की राशि की हानि को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही हानि की वसूली उचित माध्यम/संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अतिशीघ्र सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Issue Rate of Cement for the work	202.00
Twice The Issue Rate (2x 202.00 = 404.00)	404.00
Total Loss of 2 Bag Cement (2 x 404.00)	808.00

18 आर0आर0 मैसनरी की कार्य मात्रा से वीप होल्स की कटौती न करने के कारण संविदाकार को ₹0.22 लाख का अधिक भुगतान करना

निम्न निर्माण कार्यों के चलित बिलों में अनुबन्ध की मद "P/F 100mm पी0वी0सी0 पाईप इन वीप होल्स'' की कार्य मात्रा की जाँच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद **"आर0आर9**

मैसनरी'' के भुगतान के समय वीप होल्स में प्रयोग 100mm पी0वी0सी0 पाईप के आयतन की कटौती नहीं की गई थी। **आर0आर0 मैसनरी** के भुगतान के समय **आर0आर मैसनरी की देय मात्रा में से 100mm** पी0बी0सी0 पाईप के आयत के बराबर की कार्य मात्रा की कटौती की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार **आर0आर0 मेसनरी** की देय कार्य मात्रा में से 100mm पी0बी0सी0 पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा की कटौती न करके संविदकारों को कुल ₹22,027 का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम/संविदाकार से सुनिश्चित की जाए।

Sr. No.	Voucher No./ Dt. MB No.	Amount	Name of work	No. of Runn - ing Bill	Qty. Weep Whole Paid of 100 mm dia (Qty in Rmt)	Qty of RR Masonary Which was paid twice to the Contractrr (MB)	Rate of RR Masonary per M^3	Total Amount
1	122, Dt. 31.3.2015 MB No. 1814, P.No. 6	9,08,039	Self Financiang Scheme at Flower dale Shimla-H.P.	1^{st}	49.40	22/7 x 0.05 x 0.05 x 49.40 = 0.39	4700	1833
2	118, dt. 31.3.2015 MB No. 1795, P.No. 19	11,63,694	C/o Centra; Stpre at Dutt Nagar Rampur	2^{nd}	108.85	22/7 x 0.05 x 0.05x 108.85 = 0.86	2900	2494
3	113, dt. 3/2015 MB No. 1797/14, P.No. 53	22,21,943	C/o Self financing Scheme at Theog	8^{th}	658.39	22/7 x 0.05 x 0.05 x 658.39 = 5.17 m^3	2900	14993
4	120, dt. 31.3.2015 MB No. 1791 P.No. 52	11,18,035	C/o Residential Complex Res. Phase-II Sector-IV	4^{th}	114.85	22/7 x 0.05 x 0.05 x 114.85 = 0.90	3000	2707
							Total	**22027**

19 निर्माण कार्यों में लकड़ी से सम्बन्धित कार्य के भुगतान से पूर्व अनुबन्ध की शर्तानुसार खरीद बिलों को प्रसतुत न करने के कारण संविदाकारों को ₹19.56 लाख का अनियमित भुगतान

अनुबन्ध की General Specification & conditions संख्य 13 पर वर्णित शर्त के अनुसार "The contractor shall have to purchase the timber to be used on works from an authorized dealer/agency and he would produce necessary receipts/vouchers as a proof before releasing the payment of the wood work" निम्न निर्माण कार्यों के लिए प्रयोग में लाई गई लकड़ी की खरीद के सम्बन्ध में संविदाकार द्वारा प्रस्तुत बिल इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। अतः अनुबन्ध की उपरोक्त वर्णित शर्त के अनुसार निर्माण कार्य के लिए प्रयोग में लाई गई लकड़ी की खरीद के बिल/वाऊचर प्राप्त किए बिना संविदाकार को भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही भविष्य में अनुबन्ध की उपरोक्त वर्णित शर्त अनुसार लकड़ी के कार्य हेतु भुगतान करने से पूर्व लकड़ी की खरीद से सम्बन्धित अभिलेख संविदाकार से लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Sr. No.	Voucher No./ Dt. MB No.	Amount	Name of work	No. of Runn - ing Bill	Qty. of wood work executed		Rate of Wood work per m^3	Total Amount
1	8/31.3.2015 MB No. 1769, P.No. 73	13,43,237	C/o PSFS at Sanjauli	4th & 5th	Item No. 29 Prov Wood Frames	14.5296 m^3	75000	1089720
					Item No. 30 P/F 40mm thick Panalled door	188.19 m^2	2800	395199
					Item NO. 31 P/F 40mm thick panalled door	127.93 m^2	2500	319825
2	111/31.3.2015 MB No. 1637 P.No.	116660	Special Repair to HO Building Nigam Vihar, Shimla	1st	Item No. 1 Prov Wood Frames	0.207 m^3	98000	20286

	79							
3	126/31.3.2015 MB No. 1552, P.No. 77	253583	C/o High School under RMSA at Badhal	8^{th}	Item No. 17 P/F 40mm thick 2^{nd} class single/ double leaf Panelled shutter made of 2^{nd} Class deodar Wood	62.27 m^2	2100	130767
							Total	**1955797**

20 वाऊचर संख्या 64, दिनांक 16.1.2015 ₹30,00,000

निर्माण कार्य का नाम	C/o Indoor Stadium at Rohroo
संविदाकार का नाम	Sh. Krishan Kumar Thakur
अनुबन्ध संख्या	1 of 2011-12
Abstract of Cost MB	Page No. 96 of 1672
बिल संख्या	13^{th} चलित बिल

उपरोक्त निर्माण कार्य की 13^{th} running bill तक अंकेक्षण में विस्तृत जाँच की गई। इन निर्माण कार्य में निम्न अनियमितताएं पाई गई।

(क) संविदाकार को ₹30.00 लाख का अनियमित अग्रिम भुगतान के सन्दर्भ।

Swamy's compilation of CPWD Manual Vol.II के नियम 32.3 (Advance payment to Contractor for work done but not measured) के अनुसार संविदाकार को अग्रिम का भुगतान उस कार्य हेतु जो किया जा चुका है परन्तु कार्य की गणना किसी कारणवश रिकॉर्ड नहीं की गई हो के लिए किया जाना था साथ ही नियम 32.3(सी) के अनुसार ''When in any exceptional case an advance payment has been authorized by the competent authority, it should be followed by detailed measurement with in two months at the most with a view to the advance being adjusted with in three months from the date on which it was made, subject to the extension of this period'' उपरोक्त निर्माण कार्य के सन्दर्भ में संविदाकार को ₹30,00,000 के अग्रिम का भुगतान Running Bill 13^{th} (MB No. 1672/13, P.No. 96) के द्वारा दिनांक 16.1.2015 को किया गया थां उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि इस अग्रिम का समायोजन 14^{th} Running Bill में किया गया था। 14^{th} Running Bill की

measurement दिनांक 18.8.2015 को MB No. 1764/13, P.No. 3 to 55 में की गई थी। नियम 32.3(सी) के अनुसार संविदाकार को प्रदान किए गए अग्रिम का समायोजन किए गए कार्य के विरूद्ध दो माह या अधिक से अधिक तीन माह के भीतर किया जाना आवश्यक था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अग्रिम के विरूद्ध किए जा चुके निर्माण कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टि दिनांक 18.8.2015 को की गई थी। जिससे यह प्रतीत होता है कि अग्रिम का भुगतान संविदाकार को किए गए निर्माण कार्य के लिए नहीं अपितु न किए गए कार्य के लिए किया गया था। अतः नियम 32.3(सी) के प्रावधान की अनदेखी करके संविदाकार को ₹30,00,000 का अग्रिम का भुगतान करने को न्यायोचित ठहराया जाए।

21 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अतिरिक्त व प्रतिस्थापित कार्य मदों की राशि ₹12.54 लाख का अनियमित निष्पादन/भुगतान करना

Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority, Nigam Vihar, Shimla-171002 के पत्र सख्या HIMUDA-Saving/Misc/2004, दिनांक 27.12.2004 के अनुसार अतिरिक्त व प्रतिस्थापित मदो का निष्पादन सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति एवं दर अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा। निम्न वर्णित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न चलित बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹1253695.68 राशि की अतिरिक्त व प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति एवं दर अनुमोदन के बिना ही करवाया गया था, नियमानुसार इस प्रकार की कार्य मदों का निष्पादन बिना स्वीकृति व भुगतान दरों के अनुमोदन के नहीं किया जाना था। यद्यपि इस सम्बन्ध में आपतियाँ पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाई गई थी परन्तु इस सम्बन्ध मे कोई ठोस कार्यवाही निर्माण मण्डल द्वारा नहीं की गई। अतिरिक्त एवं प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन एवं भुगतान बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा भुगतान दरों के अनुमोदन के बिना ही निरन्तर करवाया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उपरोक्त मामला आवश्यक एवं उचित कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है, साथ ही अतिरिक्त व प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति एवं दर अनुमोदन के उपरान्त ही करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

क्र० सं०	कार्य मद का संक्षिप्त नाम	चलित बिल सं०	माप पुस्तिका/ पृष्ठ संख्या	किए गए कार्य की मात्रा	भुगतान दर	किया गया भुगतान
1	Stone soling properly hand packed	12th Running bill	1178, 63	608.37	350	212929.50

2	S/F Ceiling Shutter of approval work of MS Flats	12th Running Bill	1778, 70	85.99	1100	94589
3	P/F glazing in aluminium door window	12th Running Bill	1778, 75	242.93	700	170051
4	P/F partiation Board Ceiling	12th Running Bill	1778, 74	451.44	387.10	174752.42
5	P/F 15cm wide 45cm over Colour Plain GI Sheet	12th Running Bill	1778, 77	346.50	323.60	112127.40
6	P/f in Position Steel Shutter with Vertical Channel	12th Running Bill	1778, 77	40.04	3532.60	141445.30
7	Applying Birla White Wall putty over plaster	12th Running Bill	1778, 78	10937.14	31.80	347801.05
					Total	**1253695.68**

22 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्यों की विभिन्न मदों की मात्रा में ₹191.99 लाख विचलन (Deviation)

Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority, Nigam Vihar Shimla-171002 के पत्र संख्याः HIMUDA-Saving/Misc./2004, दिनांक 27.12.2004 के अनुसार "Diviation wherever eminent on account of unforeseen circumstances, the same be only executed after obtaining written prior approval of the competent authorities" निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न चलित बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अनेक मदों का कार्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना निर्धारित विचलन की प्रतिशतता से कही अधिक निष्पादित करवाया गया था। जबकि उपरोक्त पत्र के द्वारा जारी निर्देषों अनुसार कार्य निष्पादन से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य था। इस प्रकार के कुछ प्रकरणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। अनुबन्ध में निर्धारित कार्य मात्रा से अत्याधिक मात्राका कार्य बिना स्वीकृति प्राप्त किए ही करवाया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। यद्यपि इस प्रकार की आपत्तियाँ पूर्व में भी उठाई गई थी, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः

इस गम्भीर त्रुटि का आवश्यक समाधान एवं दिशा निर्देशों को जारी किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० सं०	कार्य का नाम/ अनुबन्ध संख्या	कार्य मद का संक्षिप्त नाम	माप पुस्तिका/ पृष्ठ संख्या	कार्य की मात्रा अनुबन्ध अनुसार	किए गए कार्य की मात्रा	भुगतान दर	Excess	किया गया भुगतान	Excess in %
1	Dweling unit for Urban Poor under Basic Service, 18 of 2009-10, 22th Running Bill	Item No. 1 Cutting in earth work	1739, 61	9020.12 m^3	12123.63 m^3	200 per Cum	3103.51	620702	34.41 %
		Item No. 5(F)(1) From Work-Slider of Soffits	1739, 64	4929.76 m^3	6065.20 m^3	180 per cum	1135.44	204379.20	23.03 %
		Item No. 7 P/L 1:4:8	1739, 65	30.36 m^3	218.42 m^3	2200 per Cum	188.06	413732	619.43 %
2	c/o High School under RMSA at Badhal, 9 of 2011-12 8 th running Bill	Item No. 2 Excavation in Foundation & Trenches	1552, 70	87.56 M^3	145.05 m^3	220 per Cum	57.49	12647.80	65.66 %
		Item No. 13 Brick Work using 2nd Class Bricks	1552, 72	48.06 m^3	81.38 m^3	6400 per cum	33.32	213248	69.33 %
		Item No. 8 P/L 1:8:6	1552, 81	10.15 m^3	31.09 m^3	2300 per cum	20.94	48162	206.31 %
3	C/o Indoor Stadium at Rohroo, 1 of 2011-12, 12th Running Bill	Item No. Cutting in earth work	1778, 57	454.72 m^3	4062.88 m^3	150 per cum	3608.16	541224	793.49 %
		Item No. 2 Excavation in Foundation & Trenches	1778, 58	502.81 m^3	2546.24 m^3	178 Per Cum	2043.43	363730.54	406.40 %
		Item No. 59(C)(1) prov. Foam	1778, 59	1910.06 m^3	4345.80 m^3	250 per Cum	2435.74	608935	127.52 %

		work							
		Item No. 10(C) Prov. M20 in Suspended Floor	1778, 61	448.86 m^3	897.47 m^3	4850 per Cum	448.61	2175758.50	99.94 %
		Item no. 10(a) Prov. M20 in Col, Pillar	1778, 61	73.90 m^3	132.79 m^3	4800 per cum	58.89	282672	79.69 %
		Item No. 22 Prov RR Masonary 1:6:12	1778, 68	945.65 m^3	2061.88 m^3	2200 per cum	1116.23	2455706	118.04 %
		Item no 30, P/L kota stone Slab Flooring 20mm thick	1778, 64	1377.21 m^3	2322.42 m^3	1050 per sqm	945.21	992470.50	68.63 %
		Item no 31, P/L Kota Stone 25mm in steps	1778, 64	146.19 m^2	381.74 m^2	1150 per sqm	235.55	270882.50	161.13 %
		Item no. 37, Prov Steel work welded in buildup Section	1778, 65	126.72 Qtl	748.97 Qtl	7500 per Qtl	622.25	4666875	491.04 %
4	C/o PSFS at Sanjauli PH-III, 19 of 2012-13, 4&5 Running Bill	Item No. 26, Prov RR Masonary	1780, 10	357.01 m^3	646.60 m^3	2700 per cum	289.59	781893	81.12 %
5	C/o SFS at Theog 12 No. Cat-II Flats, 9 of	Item No. 1 Cutting in earth work	1797, 44	4788.86 m^3	7106.56 m^3	200 Per Cum	2317.70	463540	48.40 %

2013-14, 8th Running Bill	Item No. 2 Excavation in Foundation, trenches etc in earth work	1797, 45	671.55 m^3	983.06 m^3	310 per cum	311.51	96568.10	46.39 %
	Item No. 5 Extra for carriage of Surplus excavated earth	1797, 45	4122.14 m^3	7364.81 m^3	275 per cum	3242.67	891734.25	78.66 %
	Item No. 8 P/L CC 1:2:4	1797, 48	0.86 m^3	5.56 m^3	5500 per cum	4.7	25850	546.51 %
	Item No. 9 P/L CC 1:4:8	1797, 48	5.90 m^3	150.45 m^3	4200per cum	144.55	607110	2450 %
	Item No. 25 P/L Half Brick masonary using 2nd Class bricks	1797, 51	150.96 m^3	880.04 m^3	800 per cum	729.08	583264	482.96 %
	Item No. 28 P/L RR Masonary in Breast Wall & Retaining Wall	1797, 52	1023.72 m^3	1671.37 m^3	2900 per cum	647.65	1878185	63.26 %
						Total	**19199269.39**	

23 निर्माण कार्यों का निर्धारित अवधि में पूर्ण न किया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि के 2 वर्षों के पश्चात भी पूर्ण नहीं किया गया था, जिससे एक और निर्माण कार्यों की लागत में अनावश्क वृद्धि होती है साथ ही दूसरी और विभाग की कार्य प्रणाली पर भी प्रभाव पड़ता है। यद्यपि निर्माण कार्यों की निर्धारित समय अवधि पूर्ण होने के उपरान्त औपचारिक समय बढ़ोतरी भी प्रदान की जाती है परन्तु औपचारिक समय बढ़ौतरी करने से निर्माण लागत में भी बढ़ौतरी होती है अतः ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि निर्माण कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण किया जा सके, जिससे निर्माण कार्यों की लागत में अनावश्क वृद्धि न होने पायें निर्धारित समय अवधि में पूर्ण न किए गए

कुछेक निर्माण कार्यों का विवरण निम्न दिया गया हैं यह मामला/प्रकरण आवश्यक एवं उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

Sr. No.	Name of Work	Agreement No.	Estimated Cost of Work	Date of Start	Date of Completion as per agreement	Status as on 31.3.2015
1	C/o PSFS at Sanjauli 12 Nos Cat-II Flats	19 of 2012-13	2,32,81,238	5.1.2013	4.7.2014	Work in Progress
2	C/o Central Store at Dutt Nagar	5 of 2014-15	29,69,818	15.11.2014	14.8.2014	Work in Progress
3	C/o Dwelling Units under JNNURAM	18 of 2009-10	3,46,33,336	21.10.2009	24.4.2011	Work in Progress
4	C/o High School under RMSA at Badhal	5 of 2011-12	33,49,400	16.6.2011	15.6.2012	Work in Progress
5	C/o Govt. Senior Sec. School at Ghaini	4 of 2014-15	44,54,740	15.11.2014	14.8.2014	Work in Progress

24 अग्रिमों का समायोजन बिना बिल/वाऊचरों के किए जाने बारे

स्टॉक अभिलेख वर्ष 2014–15 की पडताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित अग्रिमों का समायोजन बिना बिल/वाऊचर के किया गया। समायोजन वाऊचरों में केवल GR संख्या अंकित की गई थी व सम्बन्धित GR के साथ बिल/वाऊचर संलग्न नही थे, जिसके अभाव में अग्रिम राशियों के समायोजन की पुष्टि नहीं हो सकी। बिना बिल/वाऊचर प्राप्त किए अग्रिम राशियों का समायोजन करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः बिना बिल/वाऊचर प्राप्त किए अग्रिम राशियों का समायोजन किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी अग्रिम राशियों से सम्बन्धित बिल वाऊचर, ए0पी0आर इत्यादि आगामी अंकेक्षण के दौरान

आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं। भविष्य में अग्रिम राशियों के समायोजन वाऊचर में बिल वाऊचर इत्यादि संलग्न किए जाने भी सुनिश्चित किए जाएं।

समायोजन वाऊचर संख्या	माह	जी0आर संख्या जिसके आधार पर अग्रिम राशियों का समायोजन किया गया था	समायोजित की गई राशि
12	3/2015	2095 से 2112	43,09,889
1	4/2014	2019 से 2025	6,74,741
2	5/2014	2016 से 2030	5,43,648
15	6/2014	2031 से 2035	10,96,601
4	7/2014	2036 से 2047	18,88,766
3	8/2014	2048 से 2055	6,75,123
4	9/2014	2056 से 2063	29,80,374
2	10/2014	2064 से 2073	8,43,903
3	11/2014	2074, 2075	1,22,947
14	12/2014	2076 से 2087	30,12,604
9	1/2015	2088 से 2094	8,50,871
		योग	**1,69,99,467**

25 कालातीत प्रतिभूति ₹19.08 लाख को जब्त न किए जाने के कारण निर्माण मण्डल को हानि

Swamy's Compilation of CPWD Works Manual Volum-II के नियम 23.10 के अनुसार "The Claim for refund of security deposit is governed by the Limitation Act. The Period of limitation is 3 years commencing form the date the right to due accures. In the case of security deposit paid along with the individual contract, the right to due would accrue under Clause 17 after the maintenance period". उपरोक्त नियम के अनुसार संविदाकार/ठेकेदार अपनी जमा Security को उसकी देय तिथि, एवं Clause 17 के अन्तर्गत रख–रखाव हेतु निर्धारित अवधि या अन्तिम बिल की भुगतान की तिथि जो भी बाद में हो के बाद कलेम कर सकता है। परन्तु इस अवधि की समाप्ति के उपरान्त यदि कोई संविदाकार/ठेकेदार अपनी जमा Security को कलेम नहीं करता है तो वह Security कालातीत मानी जायेगी, और नियमानुसार ऐसी सभी कालातीत Security की राशि को निर्माण मण्डल द्वारा जब्त करके अपनी विविध आय (Miscellaneous Income) शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जायेगा। अंकेक्षण में Security से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 तक निर्माण

मण्डल के पास संविदाकार/ठेकेदार की Security की ₹19,08,521 ऐसी थी जिसके विरूद्ध निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके थे और संविदाकार/ठेकेदार को उनका भुगतान नहीं किया गया था या ऐसी Security की राशि थी जिनका भुगतान दिनांक 31.3.2015 तक नही किया गया था का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट–छ** पर दिया गया है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 3/2015 दिनांक 5.12.2015 द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण होने के बारे और Security की राशि का भुगतान न किए जाने बारे सूचना मांगी गई थी और इसके प्रतिउतर में निर्माण मण्डल द्वारा पत्र संख्या HIMUDA/Cash/2014-3159, दिनांक 7.1.2016 से प्रदान की गई सूचना में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया कि निर्माण कार्य किस तारीख को पूर्ण किए गए थे। निर्माण कार्यों को पूर्ण होने के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 20/2015 दिनांक 19.1.2016 से सूचना मांगी गई थी, इसके साथ ही अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 26/2015 दिनांक 21.1.2016 से निर्माण मण्डल के धरोहन रजिस्टर में वर्णित धरोहर राशियों को भौतिक रूप (Physical) से अंकेक्षण को प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। इस सन्दर्भ में पत्र संख्याः HIMUDA/Cash/ 2014 दिनांक 22.1.2016 से सूचित किया गया कि केवल 15 Nos. FDR निर्माण मण्डल–1 के पास भौतिक रूप से विधमान है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई सूचना एवं धरोहर राशियों से सम्बन्धित भौतिक प्रमाण (Physical) अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे ऐसा संदेह प्रतीत होता है कि धरोहर राशि जो कि सावधि निवेश के रूप में धरोहर रजिस्टर में वर्णित की गई है वे वास्तव में भौतिक रूप (Physical) में निर्माण मण्डल के पास उपलब्ध नहीं है। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है। इस मामले में पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त कालातीत हो चुकी संविदकार/ठेकेदार की Security की राशि को उपरोक्त नियम के अनुसार जब्त किया जाए और निर्माण मण्डल की विविध आय शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जाएं। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

26 कर्मचारियों के अर्जित अवकाश के खाते छमाही पर पूर्ण नहीं किया जाना

निर्माण मण्डल के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि अर्जित अवकाश खातों को छमाही आधार पर पूर्ण नहीं किया गया था। कुछ मामलों का विवरण निम्न दिया गया है। अतः कर्मचारियों के अर्जित अवकाश खातों को छमाही आधार पर पूर्ण न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही वर्तमान में इन सभी कर्मचारियों के अर्जित अवकाश खाते को छमाही आधार पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Name of Employee	Period for which Earned Leave Account not Completed.
Sh. Jia Lal, Peon	w.e.f. 1.1.2014 to 31.12.2015
Sh. Lekh Ram, J.E.	w.e.f. 1.1.2015 to 31.12.2015

26.1 अर्जित अवकाश खाते में से व्यतीत की गई अवधि को कम न किए जाने बारे

निर्माण मण्डल के कर्मचारियों के अर्जित अवकाश खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न कर्मचारियों द्वारा व्यतीत की गई अर्जित अवकाश की अवधि को सेवा पंजिका में अर्जित अवकाश खाते से कम नहीं किया गया था। अतः कर्मचारियों के अर्जित अवकाश के खाते को व्यतीत अर्जित अवकाश अवधि से कम न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही वर्तमान में कर्मचारियों के अर्जित अवकाश खातों को अर्जित अवकाश अवधि से कम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Name of Employee	**Period for which Earned Leave Account not debited.**
Smt. Nirdosh Chauhan, Supdt-II	23.9.2013 to 28.9.2013 (6 days)
	19.5.2014 to 24.5.2014 (6 days)
Smt. Vidya Devi, Beldar	27.10.2014 to 9.11.2014 (14 days)
Smt. Fula Devi, Beldar	27.4.2015 to 2.5.2015 (6 days)

27 लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं कि गई है क्योक लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

28 निष्कर्ष :– लेखाओं के रख–रखाव में और सुधार की अति आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः (एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)123/88–खण्ड–16–2431–2433 दिनांकः 02.05.2016, शिमला–9

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम विहार, शिमला–2
पंजीकृत 3 अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–1, शिमला को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई उचित कार्रवाई का सटिप्पण उतर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट–''क''

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 1(ग) में सन्दर्भित

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल–1, शिमला–171009 के लेखों अवधि 4/2011 से 3/2015 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

(ए) अनिर्णीत पैरों के अंकेक्षण प्रतिवेदन का विवरण

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/1996

1)	पैरा 23	अनिर्णीत
2)	पैरा 28	अनिर्णीत
3)	पैरा 43	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1997

1)	पैरा 12(च)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/1999

1)	पैरा 50	अनिर्णीत
2)	पैरा 51(क)	अनिर्णीत
3)	पैरा 51(ख)	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1)	पैरा 9	अनिर्णीत
2)	पैरा 11	अनिर्णीत
3)	पैरा 30	अनिर्णीत
4)	पैरा 31	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1)	पैरा 13(1)	अनिर्णीत
2)	पैरा 13(2)	अनिर्णीत
3)	पैरा 14(1)	अनिर्णीत
4)	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
5)	पैरा 33	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1)	पैरा 10	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1)	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत

2)	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत	
3)	पैरा 21	अनिर्णीत	
4)	पैरा 23(क)	अनिर्णीत	
5)	पैरा 23(ख)	अनिर्णीत	

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1)	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
2)	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत	
3)	पैरा 10(क)	अनिर्णीत	
4)	पैरा 26	अनिर्णीत	
5)	पैरा 30	अनिर्णीत	

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1)	पैरा 9(3)	अनिर्णीत	
2)	पैरा 12(2)	अनिर्णीत	
3)	पैरा 14	अनिर्णीत	
4)	पैरा 18	अनिर्णीत	
5)	पैरा 19	अनिर्णीत	

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1)	पैरा 10(क)	निर्णीत	(मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्णीत दर्शाये गए हैं)
2)	पैरा 10(ख)	निर्णीत	(मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्णीत दर्शाये गए हैं)
3)	पैरा 10(ग)	निर्णीत	(मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्णीत दर्शाये गए हैं)
4)	पैरा 12	निर्णीत	(₹896 की राशि को MB No. 1526 पृ0 सं0 90 पर संविदाकार के चलित बिल से कटोती करने के उपरान्त)
5)	पैरा 18	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
6)	पैरा 15	अनिर्णीत	(15(क) के अतिरिक्त शेष भाग अनिर्णीत)

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1)	पैरा 12	अनिर्णीत	(मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्णीत दर्शाया गया है)
2)	पैरा 13(क)	निर्णीत	(विचलित मदों को पत्र संख्या HIMUDA(DB)11/C-Sanjauli PH-III/10-Vol-

			XIII-1670, dt. 13.8.2013 के द्वारा नियमित किया गया था)
3)	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत	
4)	पैरा 16	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के अधार पर)
5)	पैरा 17(क)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के अधार पर)
6)	पैरा 17(ख)	अनिर्णीत	
7)	पैरा 18	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
8)	पैरा 19	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1)	पैरा 12	आंशिक निर्णीत	(12(क) से (च) तक का निपटारा कर दिया गया है)
2)	पैरा 13(क)	अनिर्णीत	
3)	पैरा 13(ख, घ, व च)	अनिर्णीत	(मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्णीत दर्शाये गए हैं)
4)	पैरा 14	अनिर्णीत	
5)	पैरा 15	अनिर्णीत	
6)	पैरा 16	अनिर्णीत	
7)	पैरा 17	अनिर्णीत	
8)	पैरा 19	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
9)	पैरा 21	अनिर्णीत	
10)	पैरा 22	अनिर्णीत	
11)	पैरा 24	अनिर्णीत	
12)	पैरा 25	अनिर्णीत	

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1)	पैरा 9	अनिर्णीत	
2)	पैरा 10	अनिर्णीत	
3)	पैरा 11(ग)	अनिर्णीत	

4)	पैरा 17	अनिर्णीत	
5)	पैरा 18	अनिर्णीत	
6)	पैरा 19	अनिर्णीत	
7)	पैरा 20	अनिर्णीत	
8)	पैरा 23	अनिर्णीत	
9)	पैरा 24	अनिर्णीत	
10)	पैरा 25	अनिर्णीत	
11)	पैरा 28	अनिर्णीत	
12)	पैरा 29	अनिर्णीत	
13)	पैरा 31	अनिर्णीत	

(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1)	पैरा 6	अनिर्णीत	
2)	पैरा 6(1)	अनिर्णीत	
3)	पैरा 7	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के अधार पर)
4)	पैरा 8	अनिर्णीत	
5)	पैरा 10	अनिर्णीत	
6)	पैरा 10.5	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
7)	पैरा 13	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
8)	पैरा 16	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
9)	पैरा 18	अनिर्णीत	
10)	पैरा 19	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)

(15) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1)	पैरा 4(क)(ii)	अनिर्णीत	
2)	पैरा 4(ख)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
3)	पैरा 4(ग)(2)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
4)	पैरा 4(घ)(ii)	अनिर्णीत	

5)	पैरा 4(ड़)(2)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
6)	पैरा 5(क)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के अधार पर)
7)	पैरा 8	अंशतः निर्णीत	(मद संख्या 3 से 8 तक सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी गई है)
8)	पैरा 9	अनिर्णीत	
9)	पैरा 11(घ)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
10)	पैरा 12(क)	निर्णीत	(₹18783 की राशि की ठेकेदार से वसूली करने हेतु ठेकेदार के अन्तिम बिल में माप पुस्तिका संख्या 1693/10 पृष्ठ 94 पर कटौती की गई है)
11)	पैरा 14(क)	अनिर्णीत	
12)	पैरा 14(ख)	अनिर्णीत	
13)	पैरा 15	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के अधार पर)
14)	पैरा 17	अनिर्णीत	
15)	पैरा 20	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
16)	पैरा 21(क)	अनिर्णीत	
17)	पैरा 21(ख)	अनिर्णीत	
18)	पैरा 21(ग)	अनिर्णीत	
19)	पैरा 21(घ)	अनिर्णीत	

(16) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1)	पैरा 11	आंशिक निर्णीत	(केवल श्री ओ0पी0 वर्मा, संविदाकार से ₹6877 की वसूली की गयी है, शेष पैरा अनिर्णीत)
2)	पैरा 12(1)	अनिर्णीत	
3)	पैरा 13	आंशिक निर्णीत	(केवल श्री ओ0पी0 वर्मा, संविदाकार से ₹545 की वसूली की गयी है, शेष पैरा अनिर्णीत)
4)	पैरा 14	अनिर्णीत	
5)	पैरा 15	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के

			आधार पर)
6)	पैरा 20	अनिर्णीत	
7)	पैरा 21	अनिर्णीत	
8)	पैरा 21(1)	अनिर्णीत	
9)	पैरा 22(2)	अनिर्णीत	

(17) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1)	पैरा 4(क)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
2)	पैरा 4(ख)(1)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
3)	पैरा 4(ख)2)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
4)	पैरा 4(ग)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
5)	पैरा 4(घ)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
6)	पैरा 5	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
7)	पैरा 6	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
8)	पैरा 7	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
9)	पैरा 8	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
10)	पैरा 9	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
11)	पैरा 10(1)(क)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
12)	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत	
13)	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत	
14)	पैरा 10(2)(क)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
15)	पैरा 10(2)(ख)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
16)	पैरा 10(3)	अनिर्णीत	
17)	पैरा 10(4)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
18)	पैरा 11	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
19)	पैरा 12(क) से (ख)	अनिर्णीत	
20)	पैरा 13(क)	अनिर्णीत	
21)	पैरा 13(ख)	निर्णीत	(₹300 की राशि की वसूली माह 4/2015 भुगतान 5/2015 के वेतन से कटौती करके की गई है ECR P.No. 111)

22)	पैरा 14	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
23)	पैरा 15	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
24)	पैरा 16	अनिर्णीत	
25)	पैरा 17	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
26)	पैरा 18	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
27)	पैरा 19	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
28)	पैरा 20	अनिर्णीत	
29)	पैरा 21	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
30)	पैरा 22(क),(ख),(ग),(घ)	अनिर्णीत	
31)	पैरा 22(ड़)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
32)	पैरा 23(क),(ख),(ग),(घ)	अनिर्णीत	
33)	पैरा 24(क)	निर्णीत	(₹3181 की राशि की कटौती संविदाकार के चलित बिल से MB No. 1770 पृष्ठ संख्याः 33 पर की गई थी)
34)	पैरा 24(ख),(ग),(घ)(i),(ii),(ड़)	अनिर्णीत	
35)	पैरा 25(क),(ख),(ग)	अनिर्णीत	
36)	पैरा 26(क),(ख),(ग),(घ)(i),(ii),(ड़),(च)	अनिर्णीत	
37)	पैरा 27(क),(ख)(i)(ii)	अनिर्णीत	
38)	पैरा 27(ग)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
39)	पैरा 28(क), (ख), (ग), (घ), (ड़), (च)(i)(ii)	अनिर्णीत	
40)	पैरा 29	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)

41)	पैरा 30(क),(ख),(ग)(i)(ii)	अनिर्णीत	
42)	पैरा 30(घ)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
43)	पैरा 31(क),(ख)	अनिर्णीत	
44)	पैरा 32(क),(ख),(ग)(i)(ii)	अनिर्णीत	
45)	पैरा 33(क),(ख)	अनिर्णीत	
46)	पैरा 34(क)	अनिर्णीत	
47)	पैरा 34(ख)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
48)	पैरा 35(क)(i)(ii)	अनिर्णीत	
49)	पैरा 36	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
50)	पैरा 37	अनिर्णीत	
51)	पैरा 38	अनिर्णीत	

(बी) पूर्व नगर विकास प्राधिकरण से मण्डल–1 को स्थानानतरित बकाया पैरों की वर्तमान स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1991

1)	पैरा 42	अनिर्णीत
2)	पैरा 46	अनिर्णीत
3)	पैरा 55	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1992

1)	पैरा 9(ण)3	अनिर्णीत
2)	पैरा 9(ण)4	अनिर्णीत
3)	पैरा 9(त)(1)	अनिर्णीत
4)	पैरा 9(त)(2)	अनिर्णीत
5)	पैरा 9(त)(4)	अनिर्णीत
6)	पैरा 9(त)(7)	अनिर्णीत
7)	पैरा 9(त)(8)	अनिर्णीत
8)	पैरा 9(थ)	अनिर्णीत
9)	पैरा 9(ध	अनिर्णीत
10)	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत
11)	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत
12)	पैरा 11	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 321993

1)	पैरा 11	अनिर्णीत
2)	पैरा 13	अनिर्णीत
3)	पैरा 16(डी)	अनिर्णीत
4)	पैरा 24	अनिर्णीत
5)	पैरा 25	अनिर्णीत
6)	पैरा 26	अनिर्णीत
7)	पैरा 27	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1993 से 3/1994

1)	पैरा 11(बी)	अनिर्णीत
2)	पैरा 11(सी)	अनिर्णीत
3)	पैरा 11(डी)	अनिर्णीत
4)	पैरा 11(एफ)	अनिर्णीत
5)	पैरा 11(जी)	अनिर्णीत
6)	पैरा 11(एच)	अनिर्णीत
7)	पैरा 11(आई)	अनिर्णीत
8)	पैरा 11(जे)	अनिर्णीत
9)	पैरा 11(के)	अनिर्णीत
10)	पैरा 11(एल)	अनिर्णीत
11)	पैरा 11(एम)	अनिर्णीत
12)	पैरा 11(एन)	अनिर्णीत
13)	पैरा 11(ओ)	अनिर्णीत
14)	पैरा 11(पी)	अनिर्णीत
15)	पैरा 11(क्यू)	अनिर्णीत
16)	पैरा 12	अनिर्णीत
17)	पैरा 14	अनिर्णीत
18)	पैरा 20(ए0सी0के0)	अनिर्णीत
19)	पैरा 21	अनिर्णीत
20)	पैरा 22	अनिर्णीत
21)	पैरा 21(ए)	अनिर्णीत
22)	पैरा 31(बी)	अनिर्णीत

23)	पैरा 32	अनिर्णीत
24)	पैरा 33	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1995

1)	पैरा 5(6)	अनिर्णीत
2)	पैरा 5(18)	अनिर्णीत
3)	पैरा 5(19)	अनिर्णीत
4)	पैरा 6(3)(1)	अनिर्णीत
5)	पैरा 6(3)(4)	अनिर्णीत
6)	पैरा 6(5)	अनिर्णीत
7)	पैरा 6(16)	अनिर्णीत
8)	पैरा 6(18)	अनिर्णीत
9)	पैरा 6(19)	अनिर्णीत
10)	पैरा 6(20)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/1996

1)	पैरा 34	अनिर्णीत
2)	पैरा 37	अनिर्णीत
3)	पैरा 38	अनिर्णीत
4)	पैरा 39	अनिर्णीत
5)	पैरा 40	अनिर्णीत
6)	पैरा 41	अनिर्णीत
7)	पैरा 42	अनिर्णीत
8)	पैरा 43	अनिर्णीत
9)	पैरा 44	अनिर्णीत
10)	पैरा 46	अनिर्णीत
11)	पैरा 47	अनिर्णीत
12)	पैरा 48	अनिर्णीत
13)	पैरा 49	अनिर्णीत
14)	पैरा 50	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1997

1)	पैरा 13(ड़)	अनिर्णीत
2)	पैरा 30(क)	अनिर्णीत

3)	पैरा 30(ख)	अनिर्णीत
4)	पैरा 30(ग)	अनिर्णीत
5)	पैरा 30(घ)	अनिर्णीत
6)	पैरा 30(ड़)	अनिर्णीत
7)	पैरा 30(च)	अनिर्णीत
8)	पैरा 31(ग)	अनिर्णीत
9)	पैरा 31(घ)	अनिर्णीत
10)	पैरा 31(ड़)	अनिर्णीत
11)	पैरा 31(छ)	अनिर्णीत
12)	पैरा 31(ज)	अनिर्णीत
13)	पैरा 32	अनिर्णीत
14)	पैरा 33(क)	अनिर्णीत
15)	पैरा 33(ख)	अनिर्णीत
16)	पैरा 35(ख)	अनिर्णीत
17)	पैरा 35(ग)	अनिर्णीत
18)	पैरा 35(घ)	अनिर्णीत
19)	पैरा 37	अनिर्णीत
20)	पैरा 39(ख)	अनिर्णीत
21)	पैरा 40(क)	अनिर्णीत
22)	पैरा 40(ख)	अनिर्णीत
23)	पैरा 45(क)	अनिर्णीत
24)	पैरा 48	अनिर्णीत
25)	पैरा 50	अनिर्णीत
26)	पैरा 54(च)	अनिर्णीत
27)	पैरा 64(ग)	अनिर्णीत
28)	पैरा 65	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1997 से 3/1998

1)	पैरा 14 (मण्डल 1 व 2)	अनिर्णीत
2)	पैरा 15(क)	अनिर्णीत
3)	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
4)	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत

5)	पैरा 15(घ)	अनिर्णीत
6)	पैरा 15(ड़)	अनिर्णीत
7)	पैरा 15(छ)	अनिर्णीत
8)	पैरा 15(छ)(1)	अनिर्णीत
9)	पैरा 15(ज)	अनिर्णीत
10)	पैरा 15(झ)	अनिर्णीत
11)	पैरा 15(फ)	अनिर्णीत
12)	पैरा 15(ब)	अनिर्णीत
13)	पैरा 15(भ)	अनिर्णीत
14)	पैरा 15(म)	अनिर्णीत
15)	पैरा 15(त)	अनिर्णीत
16)	पैरा 15(थ)(1)	अनिर्णीत
17)	पैरा 15(थ)(2)	अनिर्णीत
18)	पैरा 15(थ)(3)	अनिर्णीत
19)	पैरा 21(1)	अनिर्णीत
20)	पैरा 21(2)(1)	अनिर्णीत
21)	पैरा 21(2)(क)	अनिर्णीत
22)	पैरा 21(3)	अनिर्णीत
23)	पैरा 21(13)(क)	अनिर्णीत
24)	पैरा 22(1)(क)	अनिर्णीत
25)	पैरा 22(1)(ख)	अनिर्णीत
26)	पैरा 22(7)(घ)	अनिर्णीत
27)	पैरा 22(7)(च)	अनिर्णीत
28)	पैरा 22(8)(ग)	अनिर्णीत
29)	पैरा 22(10)(ग)	अनिर्णीत
30)	पैरा 22(10)(घ)	अनिर्णीत
31)	पैरा 22(16)	अनिर्णीत
32)	पैरा 22(17)	अनिर्णीत
33)	पैरा 22(19)	अनिर्णीत
34)	पैरा 22(20)	अनिर्णीत
35)	पैरा 22(22)	अनिर्णीत

36)	पैरा 26(क)	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/1999

1)	पैरा 18	अनिर्णीत
2)	पैरा 25	अनिर्णीत
3)	पैरा 26	अनिर्णीत
4)	पैरा 32	अनिर्णीत
5)	पैरा 33	अनिर्णीत
6)	पैरा 34	अनिर्णीत
7)	पैरा 35	अनिर्णीत
8)	पैरा 36	अनिर्णीत
9)	पैरा 37	अनिर्णीत
10)	पैरा 41	अनिर्णीत
11)	पैरा 46	अनिर्णीत
12)	पैरा 61	अनिर्णीत
13)	पैरा 71	अनिर्णीत
14)	पैरा 78	अनिर्णीत
15)	पैरा 79	अनिर्णीत
16)	पैरा 80	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 15.1.2001 तक

1)	पैरा 21	अनिर्णीत
2)	पैरा 22(क)	अनिर्णीत
3)	पैरा 22(ख)	अनिर्णीत
4)	पैरा 22(ग)	अनिर्णीत
5)	पैरा 26(6)	अनिर्णीत
6)	पैरा 31	अनिर्णीत
7)	पैरा 32(क)	अनिर्णीत
8)	पैरा 35	अनिर्णीत
9)	पैरा 36	अनिर्णीत
10)	पैरा 37	अनिर्णीत
11)	पैरा 38	अनिर्णीत
12)	पैरा 41	अनिर्णीत

13)	पैरा 42	अनिर्णीत
14)	पैरा 46	अनिर्णीत
15)	पैरा 47	अनिर्णीत